

## नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे०डी०-91/753.—पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप धारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव समरोली में मिडिल विद्यालय, जिला फरीदाबाद तथा गांव अतरचट्टा में प्राथमिक विद्यालय, जिला फरीदाबाद के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहण घोषित करते हैं।

## अनुबन्ध

जिला फरीदाबाद के गांव सरोली में मिडिल विद्यालय तथा गांव अतरचट्टा में प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को डाईंग संख्या डी०टी०पी० (एफ)/1218/90, दिनांक 20 फरवरी, 1990 के साथ पड़ा जाए।

## अनुसूची

- उत्तर : नक्शों पर चिह्नित बिन्दु "ए" से लेकर, जोकि गांव अतरचट्टा को आयत संख्या 20 का उत्तर-पश्चिमी कोना है, और उसके बाद आयत संख्या 20, 19, 18, 17 की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर उसके प्राये उत्ती गांव की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "बी" तक, जहां यह गांव अतरचट्टा की राजस्व आयत संख्या 27 के उत्तर पूर्वी कोने से मिलता है।
- पूर्व : उसके बाद गांव अतरचट्टा की राजस्व आयत संख्या 27, 30, 40, 45 और 47, गांव किशोरपुर की आयत संख्या 16, 27 और 32 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर उस बिन्दु तक, जहां यह गांव मुत्तिला की उत्तरी राजस्व सीमा से मिलता है। उसके प्राये गांव किशोरपुर की पूर्वी राजस्व सीमा और गांव मन्डकोला की राजस्व आयत संख्या 24 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण पश्चिम/दक्षिण की ओर बिन्दु "सी" तक, जोकि आयत संख्या 24 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।
- दक्षिण : उसके बाद गांव मन्डकोला की राजस्व आयत संख्या 24, 25, 26, 27 और 28 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "डी" तक, जोकि आयत संख्या 28 का दक्षिण पश्चिमी कोना है।
- पश्चिम : उसके बाद गांव मन्डकोला की राजस्व आयत संख्या 28, 18, 8 और 3 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर, जहां यह गांव सरोली की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से मिलता है और इससे प्राये गांव सरोली, किशोरपुर और अतरचट्टा की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ए" तक, अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,  
चण्डीगढ़।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/753.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (b) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Middle School Village Sarouli and Primary School Village Attarchata, District Faridabad as specified



In the schedule of boundaries given below and shown on the plan appended hereto, to be controlled for the purposes of the Act, namely :—

### ANNEXURE

Schedule of boundaries of the controlled area around Middle School Village Sarouli and Primary School Attarchata, District Faridabad to be read with the Drawing No. DTP (F) 1218/90, dated the 20th February, 1990.

### SCHEDULE

- North : Starting from point 'A' marked on the plan which is the north western corner of rectangle No. 29 village Attarchata, and thence towards east along the northern revenue boundary of rectangle No. 20, 19, 18, 17 and further along the north eastern boundary of the same village upto point 'B' where it meets the north eastern corner of revenue rectangle No. 27 of village Attarchata.
- East : Thence towards south along the eastern boundary of revenue rectangle No. 27, 30, 40, 45 and 47 of village Attarchata rectangle No. 16, 27 and 32 of village Kishorpur upto the point where it meets the northern revenue boundary of village Ulinda. Further towards south west/south along the eastern revenue boundary of village Kishorpur and eastern boundary of revenue rectangle No. 24 of village Mandkola upto the point 'C' which is the south eastern corner of rectangle No. 24.
- South : Thence towards west along the southern boundary of the revenue rectangle No. 24, 25, 27 & 28 of village Mandkola upto the point D which is the south western corner of rectangle No. 28.
- West : Thence towards north along the western boundary of revenue rectangle No. 28, 18, 8 and 3 of village Mandkola where it meets the south western boundary of village Sarouli and further towards north along the western boundary of village Sarouli, Kishorpur and Attarchata upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.